लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–3 प्रथम तल, अटल नगर, नवा रायपुर

फोन नम्बर- 0771-2331385, ई-मेल-cg.dpi.dir@gmail.com

क्र./विद्या/सी/550(II)/विविध/RTE Portal/2024–25/373 नवा रायपुर, दिनांक 28/6/2024

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
छत्तीसगढ़

विषय : आर.टी.ई. अन्तर्गत् वर्ष 2024–25 में निजी विद्यालयों में प्रवेश के संबंध में जारी समय–सारिणी में आंशिक संशोधन करने विषयक।

संदर्भ : संचालनालय का पत्र क्र./809 दिनांक 19.12.2023

संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके माध्यम से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत् वर्ष 2024–25 में निजी विद्यालयों में प्रवेश के संबंध में प्रथम चरण की लॉटरी एवं स्कूल दाखिला हेतु दिनांक 20 मई 2024 से 30 जून 2024 निर्धारित किये गये थे।

2/ दिनांक 27.06.2024 की स्थिति में पोर्टल का अवलोकन किया गया है, जिसमें अभी भी जिलों के द्वारा स्कूल दाखिला कार्यवाही पूर्ण नही होना दर्शित हो रहा है। निर्धारित तिथि तक आपके द्वारा कार्य पूर्ण नही किया जाना अत्यन्त खेद का विषय है। अतः उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत् रखते हुए प्रवेश की तिथि में 07 दिवस की वृद्धि की जाकर अंतिम तिथि 07 जुलाई 2024 निर्धारित की जाती है।

इस संबंध में नवीन निर्धारित समय–सारिणी जो नीचे दर्शित है, जिसके अनुसार नियत तिथि में कार्य सम्पादित किया जाना हैः–

क्र.	कार्य	समय
	स्कूल दाखिला प्रकिया (प्रथम चरण का)	07 जुलाई 2024 तक
द्वितीय चरण – छात्र पंजीयन (आवेदन)		09 जुलाई 2024 से 14 जुलाई 2024
1	नोडल अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच	15 जुलाई 2024 से 21 जुलाई 2024
2	लॉटरी एवं आबंटन	23 जुलाई 2024 से 26 जुलाई 2024
3	स्कूल दाखिला प्रक्रिया	29 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024
4	वर्ष 2023–24 हेतु ऑनलाईन दावा प्रक्रिया	19 अगस्त 2024 से 18 सितम्बर 2024

निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नही किये जाने की स्थिति में आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा। अतः समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि, वे अपने–अपने जिलों में संशोधित निर्धारित तिथियों में कार्यवाही पूर्ण कर लेवें।

28/06/24

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़, अटल नगर

पृ.क्र./विद्या/सी/550(II)/विविध/RTE Portal/2024–25/374 नवा रायपुर, दिनांक 28/6/2024

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़, अटल नगर